

सं. 19030/3/2014-ई.IV

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
८ अक्टूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम- यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

इस विभाग में अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी खर्च पर की गई हवाई यात्राओं के लिए यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास प्रस्तुत किए जाने से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. महालेखानियंत्रक के कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, भुगतान और लेखा कार्यालयों को अधिदेश दिया गया है कि वे आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए रिकार्ड प्रस्तुत करने को कहें कि जिस यात्रा के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया गया है, वह वास्तव में की गई थी और तदनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यात्रा भत्ते के बिलों के साथ बोर्डिंग पास संलग्न करने के लिए कहा जाए।

3. चूंकि यात्रा भत्ते के दावों को पास करने के लिए की गई यात्रा प्रमाण के तौर पर बोर्डिंग पास का प्रस्तुत किया जाना नियमों और पद्धतियों के तहत आवश्यक है इसलिए सभी संबंधितों द्वारा इन अनुदेशों का पालन आवश्यक है। तदनुसार मंत्रालयों/विभागों आदि को सलाह दी जाती है कि इन अनुदेशों को सख्ती से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।

सुभाष चन्द्र
(सुभाष चन्द्र)
निदेशक

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:

1. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।
2. एनआईसी, वित्त मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

